फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
सरोज कंवर आंगनवाडी कार्यकर्ता बाला केन्द्र II		बाल विकास परियोजना अधिकारी, पाली

किस्म मुकदमा :: विविध अपील संख्या 01/2017

(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2017/00347)

अपील अन्तर्गत धारा 4 (xiv) (I)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.11.2017	प्रार्थीया सरोज कंवर, आंगनवाडी कार्यकर्ता, केन्द्र II बाला ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी पाली (ग्रामीण) के आदेश क्रमांक/1035 दिनांक 30.01.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.11(3)10/मो/आईसीडीएस/2011/150819 दिनांक 09.11.2016 के बिन्दु संख्या 4 (xiv)(I) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के प्रकरणों में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी पृथक्करण आदेश की प्रथम अपील हेतु अपीलीय अधिकारी जिला उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं है। अतः अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नही होने से खारिज की जाती है। इस निर्णय की प्रति के साथ अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं पाली को प्रेषित की जावे एवं अपीलार्थी को प्रति वास्ते सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली इस न्यायालय के नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली अति० जिला कलक्टर, पाली	1429-33 8/12/2017
8/12/2017	पत्रावली तलब की गई तथा अवलोकन किया गया। प्रकरण मे आदेश दि. 9.11.2017 के अनुसार अपील खारिज की गई है, जबकि विधि अनुसार सक्षम अपीलीय न्यायालय में स्थानान्तरित की जानी थी। अतः धारा 152 CPC में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दि. 9.11.2017 की पंक्ति संख्या 10 को इस रूप मे संशोधित किया जाता है कि "अतः अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नही होने से खारिज की जाती है।" के स्थान पर "अतः अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नही होने से सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं	

अति० जिला कलक्टर, पाली

पाली को स्थानान्तरित की जाती है।" इसी अनुसार आदेश दि. ९.११.२०१७ को पढ़ा व समझा जावे। संशोधित आदेश की प्रति संबन्धित को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रा० फैसल में शुमार हो।

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली